



पत्रांक:- 145 / परि0प्र0 (ए-2) पी0आई0यू0जे0 / नीलामी / 2025-26

दिनांक:- 6 / 09 / 2025

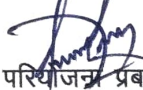
अल्पकालीन नीलामी सूचना

जनपद नैनीताल के हल्द्वानी विकास खण्ड के अन्तर्गत जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना के कमाण्ड क्षेत्र की नहर-गौलावार मुख्य नहर एवं गौलावार पोषक नहर का जीर्णोद्धार कार्य प्रारम्भ किया जाना है, जिसके अन्तर्गत गौलावार मुख्य नहर के (किमी0 0.000 से किमी0 1.10), गौलावार पोषक नहर के (किमी0 0.000 से किमी0 3.500 एवं किमी0 11.000 से 16.200) के मध्य विभिन्न प्रजाति के पेड़ों की नीलामी हेतु इच्छुक बोलीदाताओं से आवेदन दिनांक 15.09.2025 की अपराहन 2:00 बजे तक आमंत्रित किये जाते हैं। नीलामी संबंधी बोलियां उसी दिन अपराहन 3:00 बजे बोलीदाताओं द्वारा समिति के समक्ष बोली जाएंगी। नीलामी से सम्बन्धित विवरण निम्नानुसार है:-

क्र० सं०	कार्य का नाम	नीलामी हेतु वृक्ष		दस्तावेज जमा करने की अन्तिम तिथि	नीलामी की तिथि व समय	नीलामी दस्तावेज का शुल्क 18 प्रतिशत जी०एस०टी० सहित (रु० में)	जमानत धनराशि जी०एस० टी० रहित (रु० में)
		प्रजाति	संख्या				
01	जनपद नैनीताल के हल्द्वानी विकास खण्ड के अन्तर्गत जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना के कमाण्ड क्षेत्र की नहर- गौलावार मुख्य नहर के (किमी0 0.000 से किमी0 1.10), गौलावार पोषक नहर के (किमी0 00.00 से किमी0 3.500 एवं किमी0 11.00 से 16.200) के मध्य विभिन्न प्रजाति के पेड़ों की नीलामी	1. सागौन 2. शीशम 3. सेमल 4. तुन 5. यूकेलिप्टस 6. अन्य	01 04 08 35 11 131	दिनांक 15.09. 2025 समय अपराहन 2:00 बजे	दिनांक 15.09. 2025 समय अपराहन 3:00 बजे	1,770 / -	1,11,000 / -

कुल 190

नीलामी से सम्बन्धित नियम व शर्त अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय व वैबसाईट (www.jamranidam.com) पर देखी जा सकती हैं।


परियोजना प्रबन्धक (ए-2)
पी0आई0यू0 जमरानी

प्रतिलिपि निम्नलिखित को नीलामी सूचना की एक प्रति सहित सूचनार्थ प्रेषित:-

1. महाप्रबन्धक, पी0आई0यू जमरानी, हल्द्वानी।
2. उपमहाप्रबन्धक-03 पी0आई0यू जमरानी, हल्द्वानी।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, रुद्रपुर।
4. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, हल्द्वानी।
5. परियोजना प्रबन्धक (सी0सी0सी0) वैब साईट पर अपलोड करने सम्बन्धी।
6. उपराजस्व अधिकारी, पी0आई0यू जमरानी, हल्द्वानी।
7. उपजिलाधिकारी, हल्द्वानी, नैनीताल।
8. खण्ड विकास अधिकारी, हल्द्वानी/नैनीताल।
9. श्री हिमांशु काण्डपाल, सहा0परि0प्र0, पी0आई0यू जमरानी, हल्द्वानी।
10. जिलेदार, पी0आई0यू जमरानी, हल्द्वानी।
11. श्री चिरंजी लाल, क्षेत्रीय अभियन्ता, पी0आई0यू जमरानी, हल्द्वानी।
नोटिस बोर्ड।

परियोजना प्रबन्धक (ए-2)
पी0आई0यू जमरानी



नियम एवं शर्तें:-

अल्पकालीन नीलामी सूचना,

दिनांक:- 06.09.2025

1. नीलामी प्रक्रिया नियत तिथि व समय पर अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में नीलामी समिति द्वारा निष्पादित की जाएगी।
2. नीलामी में वही व्यक्ति/फर्म प्रतिभाग कर सकेंगे जिनके द्वारा नीलामी दस्तावेज प्राप्त कर उसको निर्धारित तिथि व समय तक कार्यालय में (जमानत धनराशि के साथ) जमा कर दिया है। जमानत धनराशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी FDR डीआ के रूप में देय होगी जो महाप्रबन्धक पी०आई०यू० जमरानी के पदनाम से बंधक होगी।
3. नीलामी दस्तावेज अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से कार्यालय समय में नियत शुल्क जमा कर प्राप्त किया जा सकता है।
4. नीलामी दस्तावेज का शुल्क रु० 1770/- डिमान्ड ड्राफ्ट के रूप में (दो डिमान्ड ड्राफ्ट रु० 1500/- एव रु० 270/-) महाप्रबन्धक पी०आई०यू० जमरानी के पदनाम से देय होगा।
5. उपरोक्त वृक्षों (पेड़ों) की नीलामी जैसा है वैसी स्थिति में नीलाम किया जाना है।
6. नीलामी के पश्चात सम्बंधित व्यक्ति को 30 दिवस के भीतर वृक्ष उठाना आवश्यक है। ऐसा न करने पर नीलामी निरस्त करते हुए पेड़ों को जब्त कर लिया जायेगा।
7. वृक्षों (पेड़ों) का आरक्षित मूल्य रु० 11.10 लाख (जी०एस०टी० रहित) मात्र है। रु० 11.10 लाख से सबसे अधिक बोली लगाने वाले बोलीदाता को सफल घोषित किया जाएगा। सफल बोलीदाता द्वारा लगाई गई बोली का मूल्य (18 प्रतिशत जी०एस०टी० सहित) एक सप्ताह के भीतर अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में जमा किया जाना होगा (महाप्रबन्धक पी०आई०यू० जमरानी के पदनाम से डिमान्ड ड्राफ्ट के रूप में) जिसके उपरान्त ही सफल बोलीदाता के नाम नीलामी आदेश निर्गत होगा।
8. जिस व्यक्ति/फर्म के नाम पर नीलामी जारी होगी उसकी जमानत धनराशि वृक्ष उठाने के 1 सप्ताह के पश्चात वापस की जाएगी व शेष व्यक्ति/फर्म की जमानत धनराशि नीलामी दिवस के तीन दिन के भीतर लौटा दी जाएगी।
9. नीलामी में भाग लेने वाले इच्छुक बोलीदाता नीलामी में भाग लेने से पूर्व स्थल पर नीलाम होने वाले पेड़ों का भली भांति निरीक्षण कर लें। बाद में कोई क्लेम अथवा वाद स्वीकार नहीं होगा।
10. ऐसे ठेकेदार जिन पर सिंचाई विभाग का पूर्व का धन शेष है या उनके विरुद्ध कोई वाद दायर किया हो या अन्य किसी कारणवश विभाग द्वारा डिफाल्टर घोषित किया गया हो, उनको नीलामी में बोली लगाने का कोई अधिकार नहीं होगा।
11. नीलामी स्वीकार होने के पश्चात पेड़ों की रखवाली स्वयं ठेकेदार को करनी होगी। नीलाम हुए पेड़ों की चोरी होने पर ठेकेदार का कोई भी क्लेम, दावा स्वीकार नहीं होगा। किसी भी स्थिति के लिए बोलीदाता स्वयं उत्तरदायी होगा।
12. पेड़ों की जड़ों की खुदाई स्वयं ठेकेदार को करनी होगी।
13. पेड़ों के पातन सम्बन्धी अनुमति प्राप्त की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त पेड़ों की निकासी/अन्य औपचारिकताएं/कार्यवाही बोलीदाता को स्वयं अपने स्तर पर पूरी करानी होगी।
14. बोलीदाता को नीलामी स्थल पर प्रवेश हेतु पहचान पत्र (आधार कार्ड) लाना अनिवार्य है। बिना पहचान पत्र के किसी भी व्यक्ति को नीलामी स्थल पर प्रवेश नहीं करने दिया जायेगा।
15. नीलामी के दिवस पर अवकाश होने की स्थिति में नीलामी प्रक्रिया अगले कार्य दिवस पर की जाएगी।
16. सशर्त नीलामी पर विचार नहीं किया जायेगा।
17. अधोहस्ताक्षरी को बिना किसी कारण बताये इस नीलामी को प्रत्येक स्तर पर निरस्त करने का पूर्ण अधिकार है।
18. नीलामी में भाग लेने हेतु केवल बोलीदाता/उनके अधिकृत प्रतिनिधि को ही नीलामी स्थान में प्रवेश करने दिया जायेगा।
19. भविष्य में इस नीलामी सम्बन्धी सभी जानकारीयां वेबसाइट के माध्यम से प्रदान की जाएगी।
20. अधिक जानकारी हेतु अधोहस्ताक्षरी/उप राजस्व अधिकारी कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।


परियोजना प्रबंधक ए-2,
पीआईयू, जमरानी,